वि०प्रा०(I)आरोप–21 / 2018–3878

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

डॉ० सुमंगला झा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति व्याख्याता (प्र०को०) पुस्तकालय विज्ञान, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितताओं के आलोक में श्रीमती झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी।

वितीय वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में रखे गये 07 अंशकालीन व्याख्याताओं के मानदेय भुगतानार्थ राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 479 दिनांक 28.01.14 द्वारा रु० 1,16,700.00 मात्र के आवंटन की माँग की गयी थी, लेकिन साक्ष्य के रूप में कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया था। अंशकालीन व्याख्याताओं के निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान हेतु संस्थान को राशि आवंटित की गयी थी तथा जिस वर्ष अंशकालीन व्याख्याताओं को रखे जाने का आदेश विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया, उस वर्ष राशि आवंटित नहीं की गयी थी। अतएव कथित बकाये मानदेय भुगतान हेतु डॉ० झा द्वारा याचित आवंटन सही नहीं था।

संस्थान के दैनिक आवश्यक कार्य यथा– साफ–सफाई, झाड़ू–पोछा, दरवान, माली, जेनरेटर (तेल एवं ऑपरेटर सहित) आदि आउटसोर्सिंग से कराने हेतु विभागीय पत्रांक 1149 दिनांक 29.04.13 द्वारा प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को आवश्यक निदेश दिया गया था। राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 160 दिनांक 23.07.2013 एवं पत्रांक 441 दिनांक 06.01.2014 द्वारा संस्थान के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु संविदा के आधार पर रखे गये गैर सरकारी संस्था को भुगतानार्थ रु० 1,61,82,879.00 मात्र आवंटन की माँग की गयी।

उक्त याचित आवंटन के संदर्भ में जाँच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 28.03.14 द्वार एक त्रि–सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ० झा के विरूद्ध कई वित्तीय अनियमितताएँ प्रथम दृष्टया पायी गयी। अंशकालीन व्याख्याताओं की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, आरक्षण का अनुपालन इत्यादि संबंधी अभिलेख भी जाँच समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 1492 दिनांक 19.06.2014 द्वारा डॉ० झा को उपलब्ध कराते हुए कारण पृच्छा की गयी। श्रीमती झा ने पत्रांक 57 दिनांक 24.06.2014 द्वारा पूछे गये कारण पृच्छा के संबंध में विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया। समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया।

श्रीमती सुमंगला झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 33 दिनांक 31.01.2019 द्वारा डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा डा० वरूण कुमार राय, प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को साक्ष्य प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जाँच संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक रा०पो०मुज०– आरोप– 01/2019 दिनांक 20.05.2019 द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया। आरोपी के विरूद्ध पहला आरोप यह है कि प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन अवधि में विभागीय निदेशों एवं वित्त विभागीय नियमों का उल्लंघन करते हुए निविदा संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में न कराकर मात्र सूचनापट्ट पर विज्ञापन प्रकाशित कर कार्यादेश निर्गत किया गया, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति पहुँची है।

आरोपी के विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित संस्थान के निमार्णाधीन भवन का प्रभार प्राप्त किये बिना उसके साफ–सफाई, सुरक्षा, जेनरेटर इत्यादि की सुविधा का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया, जो प्राचार्य की गलत मंशा को दर्शाता है।

आरोपी के विरूद्ध तीसरा आरोप यह है कि विभागीय आदेश के बगैर जिला विज्ञान केन्द के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ–सफाई, सुरक्षा, जेनरेटर इत्यादि का कार्यादेश निर्गत किया गया एवं किये गये कार्यों के विरूद्ध विभाग से आवंटन की माँग की गयी। प्राचार्य का यह व्यवहार वित्तीय अनियमितता/सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने का प्रयास था।

आरोपी के विरूद्ध चौथा आरोप यह है कि प्रचार्य ने पत्रांक 160 दिनांक 23.07.2013 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर आउटसोर्सिंग का कार्य किये जाने का सूचना दिया गया था। परन्तु विभागीय जाँच समिति को निविदा से संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया। पुनः पत्रांक 57 दिनांक 24.06.2014 के द्वारा यह सूचना दिया गया कि निविदा का प्रकाशन सूचनापट्ट पर किया गया था। सूचनापट्ट पर प्रकाशन के पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया गया है। स्पष्ट है कि प्राचार्य के द्वारा विभाग को गुमराह कर आवंटन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

आरोपी के विरूद्ध पाँचवा आरोप यह है कि माह मई, 2013 (15.05.2013) से माह फरवरी, 2014 (28.02.2014) तक का रुपये 17,41,150=00 का पारित विपत्र बिना आवंटन के रहते हुए भी पत्रांक 584 दिनांक 05.05.2014 से रुपये 6,97,500=00 के आवंटन की माँग विभाग से की गयी। अधिक राशि के व्यय की देयता सृजित कर विभाग से कम राशि का आवंटन हेतु पुनरीक्षित माँग पत्र प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

उक्त परिपेक्ष्य में जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त आरोपी डॉ० सुमंगला झा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति व्याख्याता (प्र०को०) पुस्तकालय विज्ञान, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से विभागीय पत्रांक 2804 दिनांक 08.08.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। आरोपी पदाधिकारी ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक C-4 दिनांक 27.08.2019 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया।

आरोपी डॉ० सुमंगला झा के द्वारा प्रपत्र "क" में गठित आरोप प्रपत्र में सन्निहित सभी आरोप को स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की गयी है एवं सरकार को हुए राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्त्ति अपने वेतन से भरपाई की पेशकश की गई है।

उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में डॉ० सुमंगला झा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति व्याख्याता (प्र०को०) पुस्तकालय विज्ञान, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमितता से संबंधित आरोप पर जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक रा०पो०मुज०— आरोप—01/2019 दिनांक 20.05.2019 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर आरोपी डॉ० झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली— 2005 के नियम—14(i) एवं (iii) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:—

1. निन्दन

2. कुल रु० 17,41,150.00 (सत्रह लाख इकतालीस हजार एक सौ पचास रुपये) मात्र की वसूली कुल 26 किश्तों में की जाय। 25 किश्तों में प्रति माह कुल 67,000.00 (सड़सठ हजार रुपये) मात्र एवं 26वें माह में कुल रु० 66,150.00 (छियासठ हजार एक सौ पचास रुपये) मात्र की वसूली डॉ० झा के वेतन से कर ली जाय।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करा दी जाय।

20.11.19
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि॰प्रा॰(I)आरोप—21/2018— 3878 /पटना, दिनांक— 20-11-2019
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.19
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि॰प्रा॰(I)आरोप—21/2018— 3878 /पटना, दिनांक— 20-11-019
प्रतिलिपि— डॉ॰ सुमंगला झा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति व्याख्याता (प्र०को०) पुस्तकालय विज्ञान, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.19
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि॰प्रा॰(I)आरोप—21/2018— 3878 /पटना, दिनांक— 20-11-2019
प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.11.19
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

आ०क०/11.11.19